बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक 488
14/2/2013

अधिसूचना

जी.एस.आर. ..../मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उप धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इस राज्य में परिचालित की जाने वाली टैक्सी के लिये जो भाड़े की दर निर्धारित करना चाहते है उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की उक्त धारा के परंतुक के अपेक्षानुसार उससे प्रभावित हो सकनेवाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के अन्दर प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

2. वर्ष 1992 के बाद टैक्सी के भाड़े में कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है और इस बीच पेट्रोल/डीजल आदि के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है । अतएव राज्य सरकार ने विचार किया है कि अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर.-15531 दिनांक 28.09.1992 के द्वारा निर्धारित दर का संशोधन आवश्यक है टैक्सी के भाड़े में वृद्धि के संबंध में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेश निर्गत किया जाय ।

निदेश का प्रारूप

राज्य सरकार निदेश देती है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार निम्नांकित निर्धारित शर्तों के साथ टैक्सी के भाड़े की दर नगरीय/उपनगरीय एवं अन्य नगर क्षेत्र के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित करेगा :-

क्रमांक	गाड़ी का प्रकार	भाड़े की दर	अभियुक्ति
1	टैक्सी	मीटर टैक्सी/कन्ट्रेक्ट प्रथम दो किलोमीटर तक के लिए रू. 21/-(एक्कीस रूपये) एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. रू. 11/- (अवातानुकूलित), रू. 12/-(बारह रूपये) (वातानुकूलित)	
2	टैक्सी लक्जरियस (एस.यू.भी. सहित)	मीटर टैक्सी/कन्ट्रेक्ट प्रथम दो किलोमीटर तक के लिए रू. 25/-(पचीस रूपये) एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. रू. 13/-(तेरह रूपये) (वातानुकूलित)	

सामान्य शर्ते जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जायेगा -

(i) गाड़ियाँ सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगायी जायेगी बल्कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर लगायी जायेगी ।

(ii) प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे ।

(iii) प्रत्येक गाड़ी के पास एक शिकायत पंजी रहेगी ।

(iv) निर्धारित भाड़े की दर से कोई अधिक भाड़ा वसूल नहीं करेगा ।

(v) उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।

14/2/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 2/सी.एम.टी.-129/2009 488 .... दिनांक 14/2/2013

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सिडी (CD) सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ कार्यालय व्यवहारार्थ इस विभाग को कृपया भेजी जाए।

14/2/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 2/सी.एम.टी.-129/2009 488 .... दिनांक 14/2/2013

प्रतिलिपि : सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/चलन्त दस्ता निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/2/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 2/सी.एम.टी.-129/2009 488 .... दिनांक 14/2/2013

प्रतिलिपि : सभी राज्य के परिवहन आयुक्त/भारत सरकार में सभी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/2/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।